

भोपाल, दिनांक 26 नवम्बर 2021

## मध्यप्रदेश प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग स्नातक पाठ्यक्रम (बी.एन.वाय.एस.) प्रवेश नियम, 2021

क्रमांक/एफ 1-68/2021/1/59/बी.एन.वाय.एस.: राज्य सरकार एतद् द्वारा मध्यप्रदेश राज्य के प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग महाविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रम (बी.एन.वाय.एस.) प्रवेश हेतु निम्नलिखित नियम बनाती है:-

1. **शीर्षक-** ये नियम "मध्यप्रदेश प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग महाविद्यालयों के स्नातक पाठ्यक्रम (बी.एन.वाय.एस.) प्रवेश नियम 2021" कहलायेंगे। ये नियम "मध्यप्रदेश राजपत्र" में इनके प्रकाशन के दिनांक से प्रवृत्त होंगे।
2. **परिभाषाएँ:-** इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अभिप्रेत न हो,
  - 2.1 'महाविद्यालय' से अभिप्रेत है। म.प्र. शासन द्वारा अनुमति प्राप्त निजी क्षेत्र के प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग महाविद्यालय।
  - 2.2 'प्रवेश मेरिट' से अभिप्रेत है एम.पी.ऑनलाईन के माध्यम से प्रदेश के मूल निवासी छात्र एवं अन्य प्रदेश के निवासी छात्र जो प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु पंजीयन करावेंगे, जिनके आधार पर एम.पी. ऑनलाईन इन नियमों के अधीन प्रवेश हेतु मेरिट जारी करेगी।
  - 2.3 'राज्य शासन' से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश शासन;
  - 2.4 'प्रवर्ग' से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश शासन द्वारा विनिर्दिष्ट तथा निर्धारित अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.), अनुसूचित जाति (अ.जा.), अन्य पिछड़ा वर्ग (अ.पि.व.), तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस.) ऐसे अभ्यर्थी जो कि म.प्र. शासन द्वारा इस हेतु जारी आदेश के तहत प्रवर्ग में आते हैं एवं अनारक्षित (अना.) प्रवर्ग।
  - 2.5 'संवर्ग' से अभिप्रेत है, सैनिक संवर्ग (एस.), स्वतंत्रता संग्राम सेनानी (एफ.एफ.), महिला (एफ) और बिना संवर्ग (एक्स) जैसा कि म.प्र. शासन द्वारा विनिर्दिष्ट तथा निर्धारित किया गया है।
  - 2.6 'दिव्यांग' (पी.डब्ल्यू.डी.) से अभिप्रेत है, जैसा कि भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, विकलांग व्यावसायिक पुर्नवास केन्द्र द्वारा विनिर्दिष्ट एवं निर्धारित किया गया है।
  - 2.7 'नियम' से अभिप्रेत है, "म.प्र. राज्य के निजी क्षेत्र में प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग महाविद्यालयों के स्नातक (बी.एन.वाय.एस.) प्रवेश नियम 2021 "
  - 2.8 'आयुष मंत्रालय भारत सरकार' से अभिप्रेत है, भारत सरकार का आयुष मंत्रालय
  - 2.9 'आयुष मंत्रालय म.प्र. शासन' से अभिप्रेत है, म.प्र. शासन का आयुष मंत्रालय
  - 2.10 'संचालनालय, आयुष' से अभिप्रेत है, म.प्र. शासन का आयुष संचालनालय, भोपाल (विभागाध्यक्ष, कार्यालय )
  - 2.11 'अभ्यर्थी' से अभिप्रेत है, उक्त पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु इच्छुक व्यक्ति ।
  - 2.12 'छात्र' से अभिप्रेत है, उक्त पाठ्यक्रम में प्रवेश उपरांत छात्र-छात्रायें ।

2.13 'लेफ्ट ऑउट सीट' से अभिप्रेत है, अंतिम चरण की केन्द्रीय काउंसिलिंग के उपरांत किसी भी कारण से रिक्त रह गई सीट।

### 03 सामान्य निर्देश-

#### 3.1

(एक) प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग के स्नातक उपाधि पाठ्यक्रम बैचलर ऑफ नैचुरोपेथी एवं यौगिक साइन्स (बी.एन.वाय.एस.), आयुष मंत्रालय भारत सरकार/आयुष विभाग, मंत्रालय, म.प्र. शासन/म.प्र. आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर द्वारा शासित एवं विनियमित होंगे तथा प्रवेश काउंसिलिंग एवं आवंटन के समय प्रभावशील नियमों- विनियमों तथा समय समय पर इनमें किये गये संशोधनों के अधीन शासित एवं विनियमित होंगे।

(दो) ये नियम आयुष विभाग मंत्रालय/म.प्र. शासन द्वारा विधिवत मान्यता प्राप्त महाविद्यालय के स्नातक पाठ्यक्रम 'बैचलर ऑफ नैचुरोपेथी एवं यौगिक साइन्स (बी.एन.वाय.एस)' में प्रवेश हेतु एम.पी. ऑनलाईन से पंजीकृत अभ्यर्थियों पर लागू होंगे।

3.2 यदि ऐसा पाया जाता है कि अभ्यर्थी द्वारा एम.पी. ऑनलाईन में आवेदन पत्र में प्रविष्टि के समय, अभिलेखों की जांच के समय, सीट के आवंटन के समय तथा प्रवेश के समय एवं अध्ययन के दौरान कोई तथ्य एवं जानकारी छुपाई गई है अथवा गलत जानकारी दी गई है तो दिया गया प्रवेश उसके अध्ययन के दौरान कभी भी महाविद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा निरस्त कर दिया जायेगा एवं प्राथमिकी भी दर्ज कराई जाएगी।

3.3 यदि अभ्यर्थी के विरुद्ध गंभीर आपराधिक प्रकरण दर्ज होना पाया जाता है, तो वह प्रवेश का हकदार नहीं होगा अथवा अध्ययन के दौरान भी ऐसी जानकारी प्राप्त होने पर किसी भी समय उसका प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा।

3.4 छात्र को दुराचरण, अनुशासनहीनता का दोषी पाये जाने अथवा लगातार बिना सूचना के एक माह से अधिक अनुपस्थित रहने पर उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी, जिसमें प्रधानाचार्य के द्वारा महाविद्यालय से निष्कासन की कार्यवाही एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का निरस्तीकरण किया जाना सम्मिलित है।

3.5 एम.पी. ऑनलाईन के माध्यम से उक्त पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु आवेदन पत्र के साथ जो कलर फोटो संलग्न किये गये हैं अभ्यर्थी वही फोटो अभिलेख सत्यापन हेतु आवंटित संस्था में प्रवेश के समय लेकर उपस्थित हों।

अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि फोटो, जो एम.पी. ऑनलाईन के माध्यम से प्रवेश काउंसिलिंग हेतु अपलोड किया गया है, वही पासपोर्ट साइज फोटो की प्रतियां अपने पास सुरक्षित रखे, जिसका उपयोग समय-समय पर प्रवेशित महाविद्यालय में उपयोग किया जा सके, फोटोग्राफ के संबंध में निम्नानुसार मापदण्ड निर्धारित हैं जिनका पालन सुनिश्चित किया जाएगा:-

(क) फोटो चिपकाने से पूर्व उम्मीदवार फोटोग्राफ की पिछली ओर केवल बॉल पाइंट पैन से अपना नाम, आवेदन-पत्र संख्या, और मैरिट नम्बर अवश्य लिखेंगे, फोटोग्राफ के लिए निर्दिष्ट स्थान पर सफेद बैक ग्राउंड सहित अनुप्रमाणित नवीनतम अच्छी क्वालिटी का रंगीन स्टूडियो फोटोग्राफ जो प्रवेश हेतु एम.पी. ऑन लाईन में पंजीयन के लिये अपलोड किया है। वही प्रवेश काउंसिलिंग के दौरान प्रयोग में लाया जाना हो, को ही चिपकाया जाए। फोटोग्राफ आवेदन दिनांक से तीन माह पूर्व के पहले का न लिया गया हो जिसमें नीचे उम्मीदवार के नाम के साथ फोटोग्राफ लिए जाने की तारीख स्पष्ट रूप से दर्शाई गई हो, फोटोग्राफ में टोपी अथवा धूप का चश्मा नहीं पहना हुआ हो।

(ख) नजर के चश्मे की अनुमति है, यदि उसे नियमित रूप से पहना जाता है, पोलोराइड और कम्प्यूटर से बनाए गए फोटोग्राफ स्वीकार्य नहीं हैं, फोटोग्राफ को निर्दिष्ट स्थान पर गोंद/एडहेसिव से भली-भांति चिपकाया जाए और उन्हें पिन से नहीं लगाया जाए/स्टेपल नहीं किया जाए। इन अनुदेशों का पालन न करने वाले अथवा अस्पष्ट

फोटो वाले आवेदनों को अस्वीकृत किया जायेगा। उम्मीदवार कृपया ध्यान दें कि यदि यह पाया गया कि चिपकाया गया फोटोग्राफ बनाया गया है अर्थात् वह सही आकार का नहीं है अथवा हाथ से तैयार किया गया है या कम्प्यूटर द्वारा निर्मित/ऐडिट है, तो उम्मीदवार का सीट आवंटन/प्रवेश अस्वीकृत कर दिया जाएगा और इसे अनुचित साधनों का प्रयोग किया जाना माना जाएगा तथा इस पर तदनुसार अनुचित साधनों के नियमों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी,

- (ग) एम.पी. ऑनलाईन द्वारा प्रवेश हेतु पंजीयन के लिये जारी प्रोटोकॉल/प्रक्रिया के नियमों में दर्ज फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर हेतु जारी निर्देश के अनुरूप ही फोटो एवं हस्ताक्षर दर्ज होने चाहिये। फोटो में भिन्नता पाई जाने की स्थिति में अभ्यर्थी सीट आवंटन तथा प्रवेश का हकदार नहीं होगा।
- (घ) अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश पंजीयन, अभिलेख सत्यापन व प्रवेश के समय मांगी गई जानकारी सही-सही दी जाएगी। अभिलेख सत्यापन तथा प्रवेश के समय आवंटित महाविद्यालय में अभ्यर्थी अपने संपूर्ण हस्ताक्षर करेंगे तथा सभी स्थानों पर एक से हस्ताक्षर करेंगे। हस्ताक्षरों में भिन्नता पाई जाने पर अभ्यर्थी सीट आवंटन/प्रवेश का हकदार नहीं होगा।

#### 4.0 सीटों की उपलब्धता -

आयुष विभाग, म.प्र. शासन से अनुमति/सीट वृद्धि अनुमति प्राप्त योग एवं नेचुरापैथी महाविद्यालयों में बी.एन.वाय.एस. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु केन्द्रीयकृत काउंसलिंग आयोजित की जावेगी। महाविद्यालयवार बी.एन.वाय.एस. पाठ्यक्रम की सीटों को विभागीय वेबसाइट [www.ayush.mp.gov.in](http://www.ayush.mp.gov.in) व एम.पी. ऑनलाईन की वेबसाइट [www.ayush.mponline.gov.in](http://www.ayush.mponline.gov.in) पर उपलब्ध कराई जायेगी।

#### 5.0 आरक्षण:-

म.प्र. शासन, आयुष विभाग, मंत्रालय से अनुमति प्राप्त निजी प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग महाविद्यालयों की बी.एन.वाय.एस. पाठ्यक्रम की समस्त सीटों पर प्रवर्गवार आरक्षण म.प्र. शासन द्वारा तत्समय प्रचलित आरक्षण नियमों के अध्यक्षीन निर्धारित प्रतिशत अनुसार रहेगा। आरक्षण का लाभ केवल मध्य प्रदेश के स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों की ही प्रदान किया जावेगा। स्थानीय निवासी होने के संबंध में म.प्र.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी-3-7-2013-3-एक दिनांक 24.06.2013, 25.12.2014 द्वारा जारी दिशा निर्देश मान्य होंगे।

#### 5.1 दिव्यांग (पी.डब्लू.डी):-

समस्त प्रवर्गों के ऐसे दिव्यांग जो मध्यप्रदेश राज्य के मूल निवासी/स्थानीय निवासी हैं, उनके लिये 6 प्रतिशत सीटें बी.एन.वाय.एस. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु आरक्षित की गई हैं। यह आरक्षण (क्षैतिजिक) हॉरिजोन्टल तथा कम्पार्टमेंटलाइज्ड होगा। इसके साथ ही भारत के राजपत्र 27 दिसम्बर 2016 एवं म.प्र. के दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2017 के प्रारूप जो कि म.प्र.राजपत्र 28 नवम्बर 2017 एवं भारत के राजपत्र में भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् संशोधन विनियम-2019 दिनांक 18/06/2019 एवं केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद् के होम्योपैथी (डिग्री पाठ्यक्रम) के संशोधन 2018 दिनांक 14/12/2018 में जारी किये गये हैं तदनुसार उल्लेखित पाँच कटेगरी की विकलांगतायें उक्त भारत के राजपत्रों में उल्लेखित विकलांगतायें एवं विकलांगता के प्रतिशत अनुसार दिव्यांग श्रेणी के लिये अभ्यर्थी मान्य होंगे।

इन सीटों पर प्रवेश के इच्छुक उम्मीदवार को अधीक्षक, श्रम मंत्रालय, भारत सरकार, विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र, नेपियर टाउन, जबलपुर से विहित प्रारूप में पात्रता प्रमाण पत्र एवं जिला चिकित्सा मण्डल द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। इस प्रकार दोनों प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

#### 5.2 सैनिक संवर्ग (मिलिट्री पर्सन) :- (प्रारूप-2 भाग-अ तथा ब)

बी.एन.वाय.एस. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु सैनिक संवर्ग (एस) में समस्त प्रवर्गों के अंतर्गत सैनिकों के पुत्र/पुत्रियों के लिये प्रवेश हेतु 03 प्रतिशत स्थान आरक्षित हैं। यह आरक्षण हॉरिजोन्टल (क्षैतिजिक) तथा कम्पार्टमेंटलाइज्ड होगा।

- 5.2.1 सैनिक संवर्ग के अंतर्गत उन सैनिकों के पुत्र/पुत्रियों के लिये सीटें आरक्षित हैं, जो सैनिक के रूप में सेवा कर चुके हैं, जिसमें भूतपूर्व सैनिक, कार्यरत प्रतिरक्षा कर्मचारी तथा ऐसे प्रतिरक्षा कर्मचारी सम्मिलित हैं जिनकी सेवा के दौरान मृत्यु हो चुकी हो या जो सेवा के दौरान स्थायी रूप से विकलांग हो गये हों।
- 5.2.2 भूतपूर्व सैनिक के पुत्र/पुत्री होने के फलस्वरूप प्रवेश का दावा करने वाले अभ्यर्थी को अपने माता/पिता का भूतपूर्व सैनिक होने संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वे मध्यप्रदेश में बस गए भूतपूर्व सैनिक के पुत्र/पुत्री हैं। (प्रारूप-2 भाग-स)
- 5.2.3 भूतपूर्व सैनिक से अभिप्रेत ऐसे व्यक्ति से है जो भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी निर्देश के अनुसार भूतपूर्व सैनिक की परिभाषा के अंतर्गत आता हो।
- 5.2.4 भूतपूर्व सैनिक के पुत्र/पुत्री होने के फलस्वरूप प्रवेश का दावा करने वाले अभ्यर्थी को अपने माता/पिता का भूतपूर्व सैनिक संबंधी प्रमाण पत्र तथा अपने माता/पिता के मध्यप्रदेश में बसने संबंधी प्रमाण पत्र संबंधित जिले के जिला सैनिक कल्याण अधिकारी से प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।

#### अथवा

वह मध्यप्रदेश के बाहर पदस्थ ऐसे प्रतिरक्षा कर्मचारी का पुत्र/पुत्री है, जो मध्यप्रदेश का वास्तविक निवासी है, ऐसे अभ्यर्थी को अपने पिता/माता के मध्यप्रदेश का वास्तविक निवासी होने संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

#### अथवा

इस संबंध में प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह प्रवेश परीक्षा के वर्ष की पहली जनवरी से पूर्व मध्यप्रदेश में पदस्थ प्रतिरक्षा कर्मचारी का/की पुत्र/पुत्री है।

**टिप्पणी** — सैनिक संवर्ग के अंतर्गत किसी अभ्यर्थी की पात्रता के संबंध में किसी विवाद की स्थिति में संचालक, सैनिक कल्याण, मध्यप्रदेश द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

#### 5.3 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी:- (प्रारूप-3)

समस्त प्रवर्गों के मध्यप्रदेश के मूलनिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के पुत्र/पुत्री या पौत्र/पौत्री या नाती/नातिनों के लिये बी.एन.वाय.एस. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु तीन प्रतिशत सीट आरक्षित हैं। यह आरक्षण (क्षैतिजिक) हॉरिजोन्टल तथा कम्पार्टमेंटलाइज्ड होगा।

- 5.3.1 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वह व्यक्ति होगा जिसका नाम मध्यप्रदेश के संबंधित जिले के कलेक्टर के कार्यालय में संधारित सूची में पंजीकृत हो।
- 5.3.2 ऐसे अभ्यर्थी जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संवर्ग के अधीन प्रवेश के लिए आवेदन करते हैं, उन्हें मध्यप्रदेश के संबंधित जिले के कलेक्टर से तत्संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। अन्य कोई दस्तावेज स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संवर्ग का होने के लिए वैध प्रमाण पत्र के रूप में मान्य नहीं होगा।

#### 5.4 महिला आरक्षण:-

बी.एन.वाय.एस. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु प्रत्येक प्रवर्ग में 33 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिये आरक्षित रखी गई हैं। यह आरक्षण (क्षैतिजिक) हॉरिजोन्टल व कम्पार्टमेंटलाइज्ड होगा।

- 5.4.1 प्रदेश में निजी क्षेत्र के संत हिरदाराम प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग विज्ञान चिकित्सा

महिला महाविद्यालय में समस्त सीटें म0प्र0 शासन आयुष विभाग मंत्रालय के आदेश क्रमांक/एफ 1-4/2016/1/59 दिनांक 09/03/16 के क्रम में महिला उम्मीदवारों हेतु आरक्षित होंगी।

#### 5.5 जाति प्रमाणपत्र:

अभ्यर्थी अपनी इच्छानुसार अपने प्रवर्ग के अधीन केवल एक आरक्षित संवर्ग के अंतर्गत आरक्षण के लिये आवेदन कर सकता है। आरक्षित प्रवर्ग के अभ्यर्थियों को म.प्र. शासन के सक्षम अधिकारी से विहित प्रपत्र में स्थाई जाति प्रमाणपत्र अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा। जिस पर प्रकरण क्रमांक, दिनांक एवं जारी करने वाले अधिकारी का पदनाम एवं सील सुस्पष्ट रूप से प्रदर्शित हो। (प्रारूप-4-अ एवं ब)

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए म0प्र0 सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय के पत्र क्रमांक एफ सी-3-8/2021/1/3 दिनांक 06.05.2019 द्वारा निर्धारित प्रक्रिया एवं प्रपत्र अनुसार आय एवं संपत्ति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।

#### 5.6 आय प्रमाणपत्र:- आरक्षित प्रवर्ग के अभ्यर्थियों को अभिलेख सत्यापन के समय वित्तीय वर्ष (2020-2021) हेतु वैध आय प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। (आय प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन एवं प्रमाणपत्र का प्रारूप क्रमांक-05 "अ" तथा ब) पर है। इसी प्रारूप में जारी प्रमाण-पत्र मान्य होगा।

5.6.1 आय प्रमाणपत्र के संबंध में मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक सी. -3-7-2013-3- एक दिनांक 25.09.2014 द्वारा निर्देश जारी किये गये हैं, जिसके अनुसार स्वप्रमाणित घोषणापत्र स्टाम्प रहित कागज पर (निर्धारित प्रारूप 05 'ब' के अनुसार) जो कि अभ्यर्थी के पिता/वैध अभिभावक द्वारा हस्ताक्षरित हो, प्रस्तुत किया जा सकता है।

5.6.2 अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को क्रीमीलेयर संबंधी निर्धारण हेतु वर्ष 2020-2021 का आय प्रमाणपत्र (निर्धारित प्रारूप 04 'अ'/'ब' के अनुसार) प्रस्तुत करना होगा। क्रीमीलेयर में आने वाले अभ्यर्थी अपने संवर्ग में आरक्षण के पात्र नहीं होंगे। क्रीमी लेयर का निर्धारण म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ. 7-28/2009/आ. प्रा./एक. दिनांक 07.02.2014 एवं 02.11.2017 द्वारा निर्धारित नियमानुसार होगा। स्वप्रमाणित घोषणा पत्र/शपथ पत्र के आधार पर प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत आय प्रमाणपत्र में वर्णित तथ्यों की सत्यता की जांच कराई जावेगी। यदि जांच में कोई असत्यता पाई जाती है तो ऐसे अभ्यर्थी के विरुद्ध नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी।

#### 5.7 ऐसे अभ्यर्थी जो किसी संवर्ग (सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, विकलांग एवं महिला संवर्ग) के अंतर्गत प्रवेश के लिये इच्छुक नहीं हैं, वे अपनी स्वयं के प्रवर्ग में बिना संवर्ग (एक्स) के अन्तर्गत आवेदन कर सकते हैं।

#### 5.8 आरक्षित प्रवर्ग की सीट का परिवर्तन -

यदि आरक्षण के अनुसार पात्र उम्मीदवार किसी आरक्षित प्रवर्ग में उपलब्ध नहीं होते हैं तो ऐसी स्थिति में रिक्त सीटों को अन्य प्रवर्गों में निम्नानुसार परिवर्तित कर भरने की कार्यवाही की जावेगी-

- (क) अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग के लिये आरक्षित रिक्त सीट पात्र अनुसूचित जाति प्रवर्ग के उम्मीदवारों द्वारा भरी जावेगी।
- (ख) अनुसूचित जाति प्रवर्ग के लिये आरक्षित रिक्त सीट पात्र अनुसूचित जनजाति श्रेणी के

प्रवर्ग के उम्मीदवारों द्वारा भरी जावेगी।

- (ग) यदि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति दोनों प्रवर्गों के पात्र उम्मीदवार उनकी आरक्षित सीटों की पूर्ति के लिये उपलब्ध नहीं होते हैं तो ऐसी स्थिति में आरक्षित रिक्त सीटों की पूर्ति अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवर्ग के पात्र उम्मीदवारों से की जावेगी।
- (घ) यदि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग तीनों प्रवर्गों के पात्र उम्मीदवार उनकी आरक्षित सीटों की पूर्ति के लिये उपलब्ध नहीं होते हैं तो ऐसी स्थिति में आरक्षित रिक्त सीटों की पूर्ति ई.डब्ल्यू.एस. प्रवर्ग के पात्र उम्मीदवारों से की जावेगी।
- (ङ) यदि उपरोक्त चारों आरक्षित प्रवर्गों के अंतर्गत पात्र उम्मीदवार उपरोक्तानुसार उपलब्ध नहीं हैं तो ऐसी स्थिति में रिक्त सीटों की पूर्ति अनारक्षित प्रवर्ग के पात्र उम्मीदवारों से की जावेगी।

नोट— यह व्यवस्था सम्बन्धित प्रवर्ग के योग्य उम्मीदवारों की विकल्प चयन हेतु महाविद्यालयों के लिए च्वाइस लॉक (चयन) किए गये अभ्यर्थियों की सूची समाप्त होने के बाद सीट परिवर्तन की सूचना जारी करने के उपरान्त अगले चरण की काउंसिलिंग में की जायेगी।

- 5.9 यदि किसी प्रवर्ग में सैनिक संवर्ग (एस), स्वतंत्रता संग्राम सेनानी (एफ.एफ.), दिव्यांग (पी.डब्ल्यू.डी.) तथा महिला (एफ.) संवर्ग में रिक्त सीट पर प्रवेश हेतु योग्य उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होंगे तो उतनी रिक्त सीटें उसी प्रवर्ग की बिना संवर्ग (एक्स) में उपलब्ध करा दी जायेंगी। यदि आरक्षित प्रवर्ग की बिना संवर्ग (एक्स) में भी रिक्त सीटों पर प्रवेश हेतु योग्य उम्मीदवार प्रवर्ग की आरक्षित सीमा तक उपलब्ध नहीं हों तो रिक्त सीटें अन्य प्रवर्गों को उपलब्ध कराते हुए भरी जावेंगी जैसा नियम 5.8 में है।

#### 6.0 प्रवेश हेतु अर्हतायें—

- 6.1 प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग स्नातक पाठ्यक्रम—बीएनवायएस में प्रवेश के इच्छुक छात्र को एम.पी. ऑनलाईन के माध्यम से पंजीयन कराना आवश्यक होगा।
- 6.2 बी.एन.वाय.एस. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली, माध्यमिक शिक्षा मण्डल मध्यप्रदेश भोपाल की 10+2 प्रणाली की बारहवीं परीक्षा अथवा किसी राज्य सरकार द्वारा संचालित समकक्ष परीक्षा (अर्हता परीक्षा) में भौतिकी, रसायन तथा जीवविज्ञान विषय (PCB) में प्रत्येक विषय अलग-अलग उत्तीर्ण करते हुये संयुक्त रूप से न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त अनारक्षित प्रवर्ग के तथा न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त आरक्षित प्रवर्ग के अभ्यर्थी ही पात्र होंगे। ऐसे सभी प्रवर्गों तथा संवर्गों के अभ्यर्थियों को 10+2 अर्हक परीक्षा में अंग्रेजी विषय में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। बीएनवायएस पाठ्यक्रम में 12वीं के भौतिकी, रसायन एवं बायोलॉजी के कुल प्राप्तांक के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जावेगी।
- 6.3 प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु केवल ऐसे अभ्यर्थी पात्र होंगे जिनकी आयु प्रवेश वर्ष के 31 दिसम्बर को 17 वर्ष से कम तथा 25 वर्ष से अधिक न हो।
- नोट:—25 वर्ष से अधिक आयु के अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं किन्तु ऐसे आवेदकों का प्रवेश माननीय उच्चतम न्यायालय में लंबित SLP (C) 14320/2018 के निर्णय के अधधीन रहेगा।
- 6.5 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़ी जातियों एवं दिव्यांग अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु में पांच वर्ष की छूट दी जाएगी।
- 6.6 आयु की गणना के लिये हाईस्कूल/हायरसेकेंड्री स्कूल सर्टीफिकेट परीक्षा की अंकसूची/प्रमाणपत्र को ही प्रमाणित दस्तावेज माना जावेगा।
- 7.0 फीस संरचना—

निजी महाविद्यालयों में प्रवेशित अभ्यर्थी को प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति/म.प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग द्वारा निर्धारित फीस देय होगी।

**7.1 फीस वापसी:-**

काउंसिलिंग के माध्यम से प्रवेशित छात्रों द्वारा अंतिम काउंसिलिंग के 10 दिवस पूर्व तक सीट छोड़ने संबंधी सूचना लिखित रूप में संस्था में प्रस्तुत करने पर ऐसे छात्रों द्वारा जमा फीस से 10 प्रतिशत राशि काटकर शेष राशि लौटायी जावेगी। उक्त समय सीमा के बाद प्राप्त आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा, तथा केवल कॉशन मनी वापसी योग्य होगी। यह प्रक्रिया राज्य एवं राज्य से बाहर के प्रवेश लेने वाले छात्रों पर समान रूप से लागू होगी।

**7.2** आयुक्त, आयुष संचालनालय किसी शासकीय (स्वशासी)/निजी आयुष महाविद्यालय में रिक्त सीट के विरुद्ध अध्ययनरत/इन्टर्नशिप के दौरान छात्रों के स्थानांतरण/आपसी स्थानांतरण दोनो संस्थाओं/विश्वविद्यालय के अनापत्ति प्रमाणपत्र के उपरान्त कर सकेगे।

**8 प्रावीण्य सूची -**

एम.पी ऑनलाईन में प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग महाविद्यालयों में प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थियों द्वारा पंजीयन कराने के पश्चात् एम.पी. ऑनलाईन प्रावीण्य सूची तैयार कर एम.पी. ऑनलाईन की वेबसाईट पर घोषित की जायेगी।

**8.1** प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु आवेदन प्रस्तुत करने वाले नियम 6.2 में वर्णित अर्हताधारी मध्यप्रदेश एवं मध्यप्रदेश के बाहर के समस्त अभ्यर्थियों को सम्मिलित कर संयुक्त प्रावीण्यता सूची जारी की जायेगी।

**8.2** प्रदेश के मध्यप्रदेश शासन, आयुष विभाग, मंत्रालय से अनुमति प्राप्त सभी प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग के महाविद्यालयों के आरक्षित श्रेणी की सीट्स के लिए आरक्षण प्रावीण्य सूची के आधार पर उक्त सम्मिलित प्रावीण्य सूची में आरक्षित सीट्स को पृथक से अंकित कर सूची एम0पी0 ऑनलाइन द्वारा जारी की जायेगी। अनारक्षित प्रवर्ग की सीटों पर भी प्रदेश के स्थानीय निवासियों को वरीयता दी जायेगी।

**8.3 पारस्परिक योग्यता -**

ऐसी परिस्थिति में जब दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों को बारहवीं की (भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान) के आधार पर जारी प्रावीण्य सूची में समान अंक प्राप्त होने पर जीव विज्ञान में अधिक अंक होने पर प्रावीण्यता सूची के आधार पर पारस्परिक वरीयता तय की जावेगी। जीव विज्ञान में भी समान अंक होने की स्थिति में रसायन विज्ञान के अधिक अंक के आधार पर, रसायन विज्ञान के भी समान अंक होने की स्थिति में भौतिक विज्ञान के अधिक अंक आधार पर प्रावीण्य सूची तैयार की जावेगी। भौतिक विज्ञान में भी समान अंक होने पर अधिक आयु के अभ्यर्थी का मेरिट वरीयता प्रदान की जावेगा।

**9.0 काउंसिलिंग -**

**9.1** योग्य अभ्यर्थी को महाविद्यालय में सीट आवंटन की प्रक्रिया ऑनलाइन काउंसिलिंग के माध्यम से की जावेगी। ऑनलाइन काउंसिलिंग तीन चरणों (प्रथम, द्वितीय व मॉपअप चरण) में की जावेगी। ऑनलाइन काउंसिलिंग के लिए विस्तृत जानकारी एम.पी.ऑनलाइन के पोर्टल पर पृथक से जारी की जावेगी।

**9.2 प्रथम चरण की काउंसिलिंग-**

1. प्रथम चरण की काउंसिलिंग में सभी पंजीकृत एवं सत्यापित अभ्यर्थी पात्र होंगे।
2. प्रथम चरण में सभी पात्र अभ्यर्थियों को आवंटन हेतु च्वाईस फिलिंग व लॉकिंग करना अनिवार्य होगा।
3. निर्धारित समय सारणी में ऑनलाइन आवंटन आदेश जारी किया जावेगा। आवंटन परिणाम के समय अभ्यर्थियों के पास दो विकल्प होंगे, जिसमें या तो वह आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश हेतु

संतुष्ट (Satisfied) चयन कर सकते हैं या बेहतर संस्था में उन्नयन (Upgradation) हेतु विकल्प दे सकते हैं।

4. जिन अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवंटन में Satisfied ऑप्शन दिया है ऐसे अभ्यर्थियों को प्रवेश हेतु आवंटन परिणाम की प्रति व सभी मूल दस्तावेज तथा उनकी छायाप्रतियों के साथ आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश हेतु प्रवेश शुल्क सहित उपस्थित होना होगा। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने प्रवेश प्राप्त कर लिया है वे आगामी चरण की काउंसिलिंग हेतु पात्र नहीं होंगे।
5. ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने आवंटन आदेश परिणाम में कोई भी विकल्प नहीं दिया है ऐसे अभ्यर्थियों की आवंटित सीट उस चरण से निरस्त कर आगामी चरण के आवंटन हेतु शामिल कर ली जावेगी। वे अभ्यर्थी आगामी चरणों हेतु पुनः पात्र होंगे।

### 9.3 द्वितीय चरण की काउंसिलिंग-

1. द्वितीय चरण की काउंसिलिंग में ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें प्रथम चरण की काउंसिलिंग से कोई भी सीट आवंटित नहीं हुई है एवं जिन्होंने द्वितीय चरण हेतु उन्नयन (Upgradation) विकल्प दिया है, पात्र होंगे।
2. जिन अभ्यर्थियों ने द्वितीय चरण हेतु उन्नयन (Upgradation) विकल्प दिया है, उन्हें नवीन च्वाइस फिलिंग व लॉकिंग करना अनिवार्य होगा।
3. निर्धारित समय सारणी में ऑनलाइन द्वितीय चरण का आवंटन आदेश जारी किया जावेगा। आवंटन परिणाम के समय अभ्यर्थियों के पास दो विकल्प होंगे, जिसमें से वह या तो द्वितीय चरण में आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश ले सकते हैं या उन्नयन (Upgradation) हेतु विकल्प दे सकते हैं।
4. जिन अभ्यर्थियों ने आवंटित महाविद्यालयों में प्रवेश ले लिया है ऐसे अभ्यर्थी आगामी चरणों हेतु पात्र नहीं होंगे एवं ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने आवंटन आदेश परिणाम में Satisfied का ऑप्शन दिया है किन्तु प्रवेश नहीं लिया है या जिन्होंने कोई भी विकल्प नहीं दिया है ऐसे अभ्यर्थियों की आवंटित सीट उस चरण से निरस्त कर आगामी चरण के आवंटन हेतु शामिल कर ली जावेगी, एवं वह अभ्यर्थी आगामी चरणों की काउंसिलिंग हेतु पुनः पात्र होंगे किन्तु ऐसे अभ्यर्थी को आगामी चरण में च्वाइस फिलिंग व लॉकिंग करना अनिवार्य होगा।
5. जिन अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवंटन आदेश में Satisfied का ऑप्शन दिया है ऐसे अभ्यर्थियों को प्रवेश हेतु आवंटन परिणाम की प्रति, सभी मूल दस्तावेज तथा उनकी छाया प्रतियों के साथ आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश हेतु प्रवेश शुल्क सहित जाना होगा।
6. जिन अभ्यर्थियों ने उन्नयन (Upgradation) विकल्प दिया है उन्हें मॉपअप चरण में नवीन च्वाइस फिलिंग व लॉकिंग करना अनिवार्य होगा।
7. द्वितीय चरण में सीटों के परिवर्तन में नियम 5.8 व 5.9 का पालन सुनिश्चित किया जावेगा।

### 9.4 मॉपअप चरण की काउंसिलिंग-

1. प्रथम एवं द्वितीय चरण में प्रवेशित अभ्यर्थियों के अतिरिक्त शेष सभी रजिस्टर्ड अभ्यर्थी मॉपअप चरण हेतु पात्र होंगे। सभी पात्र तथा मॉपअप चरण हेतु उन्नयन (Upgradation) विकल्प देने वाले समस्त अभ्यर्थियों को नवीन च्वाइस फिलिंग व लॉकिंग करना अनिवार्य होगा।



2. निर्धारित समय सारणी में ऑनलाइन मॉपअप चरण का आवंटन किया जावेगा। आवंटन के पश्चात अभ्यर्थी को महाविद्यालय में प्रवेश लेना अनिवार्य होगा। प्रवेश नहीं लेने पर अभ्यर्थी आगामी चरण हेतु पात्र नहीं होगा।
3. ऐसे अभ्यर्थियों को आवंटित महाविद्यालय में सभी मूल दस्तावेज तथा उनकी छायाप्रतियों के साथ जिन अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवंटन आदेश जारी किया गया है प्रवेश हेतु आवंटन परिणाम की प्रति, प्रवेश हेतु प्रवेश शुल्क सहित जाना होगा।
4. मॉपअप चरण में नवीन मान्यता प्राप्त महाविद्यालय की सीट संवर्ग व प्रवर्ग वार होगी जिनका सीटों का आवंटन व परिवर्तन नियम 5.8 व 5.9 के तहत किया जावेगा।

#### 9.5 काउंसिलिंग के मॉपअप चरण के पश्चात –

प्रदेश के प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु अंतिम तिथि आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयुष स्नातक पाठ्यक्रमों हेतु निर्धारित अंतिम तिथि अनुसार होगी किन्तु आयुष विभाग, म.प्र. शासन यथासमय परिस्थिति अनुसार प्रवेश प्रक्रिया एवं अंतिम तिथि निर्धारण हेतु सक्षम होगा। काउंसिलिंग के अंतिम चरण के पश्चात महाविद्यालयों में रिक्त रही सीटों पर प्रवेश हेतु एम.पी.ऑनलाईन पोर्टल पर पंजीकृत एवं उपलब्ध अभ्यर्थियों की उपलब्ध सीटों की तुलना में अधिकतम 10 गुना की सूची वरीयता कम में महाविद्यालय में प्रवेश हेतु पोर्टल पर प्रदर्शित की जावेगी। महाविद्यालय वरीयताक्रम अनुसार निर्धारित अंतिम तिथि तक आनलाईन प्रवेश दे सकेंगे। महाविद्यालयों को संचालनालय, आयुष/म.प्र. शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होगा। निर्धारित प्रक्रिया से हटकर दिया गया कोई भी प्रवेश मान्य नहीं होगा।

#### 9.6 रजिस्ट्रेशन:-

आयुष संचालनालय द्वारा काउंसिलिंग की निर्धारित समय सारणी एवं विस्तृत कार्यक्रम जारी कर संचालनालय आयुष, म.प्र. की वेबसाइट [www.mp.ayush.gov.in](http://www.mp.ayush.gov.in) तथा [www.ayush.mponline.gov.in](http://www.ayush.mponline.gov.in) एवं MP Online पोर्टल पर प्रदर्शित किया जायेगा। आवेदक को रजिस्ट्रेशन हेतु MP Online के पोर्टल अथवा Kiosk पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जिसका निर्धारित शुल्क रूपये 150/- (एक सौ पचास रूपये मात्र) देय होगा। रजिस्ट्रेशन होने के पश्चात प्रत्येक आवेदक को रजिस्ट्रेशन नंबर एवं एक अस्थाई गुप्त पासवर्ड प्रदाय किया जावेगा, जिसे आवेदक को च्याइस फिलिंग के समय बदलना अनिवार्य होगा।

केवल काउंसिलिंग हेतु रजिस्ट्रेशन कराने वाले अभ्यर्थियों को ही काउंसिलिंग के आगामी चरणों में सम्मिलित किया जावेगा। इस संबंध में किसी भी प्रकार का अन्य कोई आवेदन/दावा मान्य नहीं होगा।

#### 9.7 अभिलेख सत्यापन :-

अभ्यर्थी को निम्नांकित 09 अभिलेख सत्यापन केन्द्रों में से किसी भी केन्द्र पर अपने समस्त मूल अभिलेखों का सत्यापन (एक सेट छायाप्रति सहित) कराना होगा :-

	सत्यापन केन्द्र का नाम	स्थान
01	शासकीय (स्वशासी)पं०खुशीलाल शर्मा आयुर्वेद संस्थान	भोपाल
02	शासकीय (स्वशासी)होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय	भोपाल
03	शासकीय (स्वशासी)यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय	भोपाल
04	शासकीय (स्वशासी)आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय	बुरहानपुर
05	शासकीय (स्वशासी)आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय	ग्वालियर

06	शासकीय (स्वशासी)आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय	इन्दौर
07	शासकीय (स्वशासी)आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय	जबलपुर
08	शासकीय (स्वशासी)आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय	रीवा
09	शासकीय (स्वशासी)आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय	उज्जैन

9.8 प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु एम.पी. ऑनलाईन पर रजिस्ट्रेशन के समय दी गई जानकारी में यदि कोई त्रुटि हो गई हो अथवा कमी रह गई हो तो उसे महाविद्यालय में प्रवेश के समय सही कराया जा सकता है।

9.9 सत्यापन केन्द्र पर अभ्यर्थी को कोई शुल्क जमा नहीं कराना होगा। सत्यापन निःशुल्क होगा।

9.10 अभ्यर्थी को प्रवेश काउंसिलिंग हेतु अभिलेख सत्यापन का अवसर सिर्फ काउंसिलिंग के प्रथम चरण में ही प्रदान किया जावेगा। प्रथम चरण की काउंसिलिंग में अभिलेख सत्यापन न कराने की स्थिति में अभ्यर्थी को काउंसिलिंग के किसी भी चरण में सम्मिलित नहीं किया जावेगा। इस हेतु किसी भी प्रकार का आवेदन/दावा मान्य नहीं होगा।

9.11 सभी अंकसूचियों, प्रमाणपत्रों एवं सभी संबंधित दस्तावेजों में अभ्यर्थी तथा पिता का नाम एक समान लिखा होना चाहिये। यदि किसी भी दस्तावेज में कहीं कोई अंतर हो तो ऑनलाइन काउंसिलिंग के पूर्व उसे दुरुस्त करालें अन्यथा प्रवेश निरस्त होने पर इस हेतु अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होगा।

9.12 तथापि ऐसी ऑनलाईन मार्कशीट जिसका सत्यापन आधिकारिक वेबसाइट से संभव हो, के संबंध में सक्षम प्राधिकारी (नियम-16) से स्वीकृति उपरांत अभिलेख सत्यापन किया जा सकेगा।

9.13 पूर्व वर्षों में आयुष पाठ्यक्रम में अध्ययनरत अभ्यर्थी यदि इस वर्ष की नीट परीक्षा के आधार पर पुनः पात्रता हासिल करता है तो अभ्यर्थी को अभिलेखों की छायाप्रतियों सहित प्रारूप-8 के अनुसार संबंधित अध्ययनरत संस्था के प्रधानाचार्य का यह प्रमाणपत्र मूलतः प्रस्तुत करना होगा कि वे सभी अभिलेख (सूची दर्शाते हुए) मूलतः उनकी अध्ययनरत संस्था के पास जमा हैं। आवंटन होने पर आवंटित संस्था में प्रवेश के समय मूल अभिलेख प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा ऐसा दिया गया आवंटन स्वतः निरस्त हो जावेगा।

#### 9.14 संस्था का चयन:-

आवेदक को अपनी प्राथमिकता के अनुसार संस्थाओं का क्रमानुसार चयन का विकल्प MP Online के पोर्टल अथवा Kiosk पर जाकर करना होगा। जिसका निर्धारित शुल्क 250/- रुपये (दो सौ पचास रुपये मात्र) MP Online के पोर्टल अथवा Kiosk को देय होगा (च्वाइस फिलिंग Kiosk के माध्यम से करने पर प्रिंट आउट चार्ज पृथक से देय नहीं होगा)। इस राशि की रसीद दी जावेगी। जिस में आवेदक द्वारा चयनित संस्थाओं की सूची दर्शित होगी। प्रथम बार के अतिरिक्त बाद में किये जाने वाले च्वाइस फिलिंग के लिए केवल 100/- रुपये शुल्क देना होगा।

- अभ्यर्थियों द्वारा पंजीयन के पश्चात् इन नियमों के नियम-8 के अनुसार घोषित प्रावीण्य सूची एम0पी0 ऑनलाइन पर प्रदर्शित की जावेगी। अभ्यर्थी उक्त घोषित प्रावीण्य सूची के आधार पर ही संस्था का विकल्प चयन कर पायेंगे।

#### 9.15 प्रावीण्य सूची

अभ्यर्थियों द्वारा पंजीयन के पश्चात् इन नियमों के नियम-8 के अनुसार घोषित प्रावीण्य सूची एम0पी0 ऑनलाइन पर प्रदर्शित की जावेगी। अभ्यर्थी उक्त घोषित प्रावीण्य सूची के आधार पर ही संस्था का विकल्प चयन कर पायेंगे।

9.16 **आवंटन:-** आवेदक आवंटन की निर्धारित तिथि पर MP Online के पोर्टल अथवा Kiosk पर

जाकर अपना प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग महाविद्यालयों (बी.एन.वाय.एस) में प्रवेश हेतु कराये गये पंजीयन नम्बर, जन्मतिथि एवं च्वाइस फिलिंग के समय परिवर्तित किया गया पासवर्ड डालकर अलाटमेंट लेटर प्राप्त कर सकता है। सीटों का आवंटन मेरिट क्रम अनुसार किया जावेगा।

9.17 इन नियमों के अंतर्गत काउंसलिंग की समस्त प्रक्रिया गठित काउंसलिंग समिति की देख-रेख में होगी। एम0 पी0 ऑनलाइन द्वारा काउंसलिंग समिति से अनुमोदन उपरान्त सीट आवंटन जारी किया जावेगा।

1. प्रधानाचार्य, शासकीय (स्वशासी) पं0 खुशीलाल शर्मा आयुर्वेद संस्थान भोपाल
2. प्रधानाचार्य, शासकीय (स्वशासी) होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल
3. शासकीय (स्वशासी)यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल
4. शासकीय (स्वशासी) आयुर्वेद, होम्योपैथी एवं यूनानी महाविद्यालय भोपाल के प्रत्येक महाविद्यालय से 01-01 वरिष्ठ प्रोफेसर।
5. संचालनालय आयुष द्वारा नामांकित आरक्षित वर्ग का प्रतिनिधि जो प्रथम श्रेणी का हो।
6. संचालनालय आयुष के कॉलेज कक्ष प्रभारी अधिकारी।
7. एम0 पी0 ऑनलाइन के अधिकृत अधिकारी।
8. संचालनालय आयुष द्वारा नामांकित अन्य सदस्य।

9.18 एम पी ऑनलाइन प्रत्येक चरण की काउंसलिंग के पश्चात संवर्ग एवं प्रवर्गवार कट-ऑफ मार्क्स की सूची अल्फाबेटिकल क्रम में महाविद्यालयवार जारी करेगी।

9.19 रिपोर्टिंग:-

आवेदक को महाविद्यालय आवंटित होने के बाद सभी मूल दस्तावेज तथा उनकी छाया प्रतियों के साथ आवंटित महाविद्यालय जाकर मूल अभिलेखों का सत्यापन कराना होगा। प्रवेश हेतु वांछित समस्त अभिलेख सही पाये जाने पर अपना एम.पी. ऑनलाइन पंजीयन नं0 एवं पासवर्ड इंटर कर महाविद्यालय में प्रवेश सुनिश्चित कराना होगा। ऐसा न करने की स्थिति में आवेदक का आवंटन स्वतः निरस्त हो जावेगा।

10.0 प्रवेश-

अभ्यर्थी ऑनलाइन काउंसलिंग के द्वारा महाविद्यालय आवंटन के पश्चात्, अधिसूचित दिनांक एवं समय पर संबंधित महाविद्यालय के प्रधानाचार्य को अपनी उपस्थिति की सूचना देगा।

10.1 महाविद्यालय की प्रवेश समिति में दो वरिष्ठ शिक्षक तथा कम से कम दो आरक्षित प्रवर्ग के शिक्षक रहेंगे। यह समिति मूल दस्तावेजों का सत्यापन करेगी तथा यदि पात्र पाया जाए तो उम्मीदवार के पाठ्यक्रम में प्रवेश की अनुशंसा प्रधानाचार्य को करेगी।

10.2 पाठ्यक्रम में प्रवेश के उपरान्त उम्मीदवार के मूल अभिलेख जारीकर्ता अधिकारी से सत्यापन पश्चात् अभ्यर्थी को वापस किये जायेंगे।

10.3 यदि कोई अभ्यर्थी उपस्थित होने की संसूचित दिनांक तक उपस्थित नहीं होता है अथवा उपस्थित होकर छोड़ देता है अथवा संस्था प्रमुख को पूर्व सूचित किये बिना लगातार 15 दिवस तक अनुपस्थित रहता है, तो उसका दावा समाप्त हो जावेगा तथा उसका आवंटन/प्रवेश निरस्त हुआ समझा जावेगा।

10.4 अभ्यर्थी को अपनी चिकित्सकीय जांच करानी होगी एवं उसका प्रवेश तभी मान्य होगा जब वह चिकित्सकीय दृष्टि से फिट होगा। इस हेतु मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र मान्य होगा।

11. प्रवेश प्रक्रिया कार्यक्रम :- आयुष संचालनालय द्वारा ऑनलाइन काउंसिलिंग का विस्तृत कार्यक्रम एवं निर्धारित समय सारणी जारी कर आयुष, संचालनालय की वेबसाइट [www.mp.ayush.gov.in](http://www.mp.ayush.gov.in) तथा [www.ayush.mponline.gov.in](http://www.ayush.mponline.gov.in) पर विज्ञापन जारी किया जायेगा। यदि कार्यक्रम में कोई परिवर्तन किया जाता है तो उसे भी विज्ञापित किया जावेगा।

1	सेन्द्रलाइज्ड काउंसिलिंग	संचालनालय आयुष म.प्र. भोपाल द्वारा जारी कार्यक्रम अनुसार
2	प्रथम चरण काउंसिलिंग की तिथि	संचालनालय आयुष म.प्र. की वेबसाइट पर तिथि यथासमय घोषित की जायेगी
3	द्वितीय चरण काउंसिलिंग की तिथि	यथासमय घोषित की जायेगी
4	मॉप अप चरण काउंसिलिंग की तिथि	यथासमय घोषित की जायेगी
5	प्रवेश दिये जाने की अंतिम तिथि	म.प्र. शासन आयुष विभाग मंत्रालय, भोपाल द्वारा यथासमय घोषित की जायेगी।
6	सत्रारंभ तिथि	यथासमय घोषित की जायेगी

12. प्रदेश के निजी प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग महाविद्यालयों में राज्य शासन द्वारा यदि किसी महाविद्यालय को प्रवेशानुमति/सीट वृद्धि की अनुमति काउंसिलिंग के पूर्व प्राप्त हो जाती है अथवा किसी महाविद्यालय को काउंसिलिंग के मध्य में मान्यता/प्रवेश अनुमति प्राप्त होती है तो काउंसिलिंग चरण के च्याइस फिलिंग होने के पूर्व दिनांक तक ही प्रवेश प्रक्रिया में सम्मिलित किया जा सकेगा।
- 12.1 प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग महाविद्यालयों हेतु बी.एन.वाय.एस. पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु जारी इन नियमों के आधार पर प्रवेशित हुए अभ्यर्थी आयुष विभाग के अन्य पाठ्यक्रमों यथा बी.ए.एम.एस., बी.एच.एम.एस. व बी.यू.एम.एस. के अभ्यर्थियों से समानता का अधिकार प्राप्त करने हेतु दावा नहीं कर सकेंगे और न ही इस हेतु पात्र होंगे।
13. महाविद्यालयों द्वारा उक्त शासकीय प्रवेश काउंसिलिंग प्रक्रिया के अतिरिक्त किसी अन्य माध्यम से किये गये प्रवेश मान्य नहीं होंगे। यदि ऐसे किसी विद्यार्थी की पहचान होती है, जिसका प्रवेश अंतिम तिथि के पश्चात् हुआ हो अथवा प्रक्रिया के अतिरिक्त हुआ हो, तो ऐसे विद्यार्थी को उक्त पाठ्यक्रम से निकाल दिया जायेगा एवं/अथवा यदि उसे बी.एन.वाय.एस. की शैक्षणिक योग्यता दी जा चुकी है तो उक्त योग्यता को मान्यता प्रदान नहीं की जावेगी।
14. राज्य स्तरीय अंतिम चरण की काउंसिलिंग के उपरांत रिक्त रह गयी "लेफ्ट आउट सीट" पर महाविद्यालय द्वारा किसी भी दशा में सीधे प्रवेश नहीं दिये जावेगे। यदि किसी महाविद्यालय द्वारा काउंसिलिंग प्रक्रिया से बाहर जाकर किसी छात्र को सीधे प्रवेश देना प्रमाणित पाया तो संबंधित संस्था को महाविद्यालय संचालन हेतु जारी अनुमति समाप्त की जायेगी एवं संबंधित महाविद्यालय प्रबंधन के विरुद्ध चिकित्सा शिक्षा नियंत्रण अधिनियम 1975 संशोधित 1976, 2006 के प्रावधानों के अन्तर्गत महाविद्यालय पर म.प्र. शासन द्वारा कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
15. उक्त नियमों के अंतर्गत होने वाले प्रवेश आयुष विभाग म.प्र. शासन के उस प्रवेश दिनांक को प्रभावशील आदेशों/निर्देशों/नियमों के अधीन रहेंगे। पूर्व चरणों की काउंसिलिंग के आधार पर हुए प्रवेश उपरांत यदि संबंधित आदेश/नियम/निर्देश में कोई परिवर्तन होते हैं तब वह आगामी चरणों की काउंसिलिंग हेतु ही लागू होंगे।
16. सक्षम अधिकारी:-  
किसी भी अभ्यर्थी के प्रवेश एवं प्रवेश प्रक्रिया के संबन्ध में विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में

प्रकरण के निराकरण हेतु आयुक्त आयुष सक्षम प्राधिकारी होंगे, जिनका निर्णय अंतिम होगा।

**17. नियमों में संशोधन का अधिकार:—**

राज्य शासन को प्रवेश प्रक्रिया एवं नियमों में संशोधन का संपूर्ण अधिकार होगा। इन नियमों के निर्वचन और उनमें संशोधन के संबंध में किसी विवाद की दशा में राज्य सरकार का विनिश्चय अंतिम और सभी संबंधितों पक्षों पर बाध्यकारी होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

**पंकज शर्मा, उपसचिव.**

**प्रारूप-1**

**प्रमाण पत्र, अभिलेखों की अभिलेख सत्यापन, कॉउसिलिंग, आवंटन संबंधी प्रपत्र  
(उम्मीदवार द्वारा भरा जावे)**

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने मध्यप्रदेश प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग (बी.एन.वाय. एस.) प्रवेश नियम भलीभांति पढकर समझ लिये हैं। तत्पश्चात् ही नियमों में दिये गये प्रावधानों के अधीन प्रवेश/कॉउसिलिंग, में भाग ले रहा/रही हूँ।

प्रवेश/कॉउसिलिंग, में भाग लेने के लिए आज दिनांक ..... को निम्न जानकारी मूल प्रमाण पत्र एवं मूल अभिलेख प्रस्तुत कर रहा/रही हूँ। यदि वांछित जानकारी नियमानुकूल नहीं है अथवा असत्य है अथवा अधूरी है, आवश्यकतानुसार नहीं है तो मुझे कॉउसिलिंग में भाग लेने से वंचित कर दिया जाए। किन्हीं कारणों से आवंटन या प्रवेश प्राप्त हो भी जाता है तो मेरा आवंटन या प्रवेश कभी भी बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त कर दिया जाए-

1. म.प्र. प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग प्रवेश हेतु एम.पी. ऑन लाईन का पंजीयन : .....
2. मेरिट सूची/प्रतीक्षा सूची क्रमांक : .....
3. हायर सेकेंडरी 10+2 (भौतिकी, रसायन विज्ञान व बायोलाजी का) परीक्षा में प्राप्तांक : .....
4. पूरा नाम : .....
5. माता/पिता/अभिभावक का पूरा नाम : .....
6. पता : .....
- टेली./ मो. नं. ....
- 6.1 प्रवर्ग(अनारक्षित/अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ई.डब्लू.एस.) : .....
- 6.2 संवर्ग (सैनिक/स्वतंत्रता सैनानी/विकलांग/महिला/ओपन) : .....
7. मूल प्रमाणपत्र अभिलेख जो प्रस्तुत कर रहे हैं, उनके सामने सही ( ✓ ) का चिन्ह लगायें।

1.  अर्हकारी/हायर सेकेंडरी परीक्षा की अंकसूची।
2.  आरक्षित प्रवर्ग/संवर्ग हेतु निर्धारित प्रारूप में स्थाई जाति/ई.डब्लू.एस. प्रमाणपत्र।  

Book No.	Disp. No.	Date	Place	Issuing Authority
3.  जन्मतिथि (कक्षा 10वी की अंकसूची के अनुसार) DD MM YYYY  

--	--	--	--	--
4.  चरित्र प्रमाणपत्र।
5.  यदि अध्ययन के दौरान कक्षा बारहवीं के बाद अंतराल हुआ हो तो नोटरी द्वारा गैप सर्टिफिकेट
6.  मध्यप्रदेश का स्थानीय निवासी होने संबंधी प्रमाण पत्र।  

No.	Dt. of issue	Place	Issuing Authority
7.  अंतिम संस्था में अध्ययनरत रहने का टी.सी.
8.  वर्तमान आय प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप में। ( )
9.  संस्था प्रमुख का मूल दस्तावेज जमा होने संबंधी प्रमाण पत्र, सूची सहित। (यदि लागू हो तो)

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर, दिनांक पूरा नाम

अभिलेख सत्यापन (सूक्ष्म जाँच समिति द्वारा भरा जावे)

मेरे द्वारा समिति को उपलब्ध कराये मूल प्रमाण पत्रों, अभिलेखों ( ..... ) की जांच की गई। प्रमाण पत्रों एवं अभिलेखों की प्रमाणित छायाप्रति के 01 सेट रिकार्ड हेतु जमा करा लिये गये हैं। प्रमाण-पत्रों पर पाई गई कमियों को ऊपर उल्लेखित किया गया है।

सदस्य अभिलेख सत्यापन समिति  
(नाम पदनाम, हस्ताक्षर एवं दिनांक)

परीक्षणोपरांत उम्मीदवार प्रवेश/काउंसिलिंग में भाग लेने के लिए पात्र है अथवा निम्न प्रमाण पत्र एवं अभिलेख प्रस्तुत नहीं करने के कारण अथवा अन्य कारणों ..... से प्रवेश/काउंसिलिंग में भाग लेने के लिये पात्र नहीं हैं।

अध्यक्ष, अभिलेख सत्यापन समिति  
(हस्ताक्षर, दिनांक नाम एवं पदनाम.)

प्रारूप-1-अशपथ पत्र

मैं/आत्मज/आत्मजा श्री.....उम्र.....निवासी.....  
आज दिनांक.....को शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा आनलाईन प्रवेश प्रक्रिया /काउंसिलिंग में लिये गये निर्णय से मैं बचनबद्ध रहूँगा/रहूँगी।

आवंटित संस्था में प्रवेश समय सीमा में लेकर मैं नियम पुस्तिका में दिये गये नियमों का पालन करूँगा/करूँगी।

गवाह-1 के हस्ताक्षर

दिनांक.....

नाम.....

पूरा पता.....

टेलिफोन./मोबाईल नं.....

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

दिनांक.....

नाम.....

पूरा पता.....

टेलिफोन./मोबाईल नं.....

गवाह-1 के हस्ताक्षर

दिनांक.....

नाम.....

पूरा पता.....

टेलिफोन./मोबाईल नं.....

## प्रारूप-2

मिलेट्री पर्सनल संवर्ग (एस) हेतु प्रमाण पत्र  
भाग (अ)

भूतपूर्व सैनिक/मृत प्रतिरक्षा कर्मचारी/स्थायी रूप से विकलांग प्रतिरक्षा कर्मचारी

संदर्भ क्रमांक .....

दिनांक .....

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती..... जो म.प्र. प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग (बी.एन.वाय.एस.) प्रवेश नियम एम.पी. ऑनलाईन द्वारा संचालित प्रवेश प्रक्रिया ..... वर्ष ..... के आधार पर ( बी.एन.वाय.एस.) ..... पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए उम्मीदवार श्री/कुमारी..... के पिता/माता हैं।

अ- थल सेना/वायुसेना/नौसेना के/की एक भूतपूर्व सैनिक है, सेवानिवृत्त/सेवामुक्ति के समय वे ..... पद पर थे/थी, उनका सर्विस क्रमांक.....था।

अथवा

ब- उन्होंने थल सेना/वायुसेना/नौसेना में..... पद पर सर्विस क्रमांक..... के अधीन सेवा की है, सेवा के दौरान वे स्थायी रूप से विकलांग हो गये हैं/सेवा के दौरान उनकी मृत्यु वर्ष..... में हो चुकी है।

स्थान.....

जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के हस्ताक्षर

दिनांक.....

(कार्यालय सील)



**प्रारूप-2****भाग (ब)**

मध्यप्रदेश में/मध्यप्रदेश के बाहर अन्य राज्य में कार्यरत प्रतिरक्षा कर्मचारी  
संदर्भ क्रमांक..... दिनांक.....

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती .....  
जो म.प्र. प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग (बी.एन.वाय.एस.) प्रवेश नियम एम.पी. ऑनलाईन द्वारा संचालित  
प्रवेश प्रक्रिया ..... वर्ष.....के आधार पर ( बी.एन.वाय.एस.) .....  
.....पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये उम्मीदवार श्री/कुमारी.....  
के पिता/माता हैं ।

अ- थलसेना/वायुसेना/नौसेना में ..... के ओहदे पर  
सर्विस क्रमांक..... के अधीन कार्यरत प्रतिरक्षा कर्मचारी है और वे मध्यप्रदेश में स्थित प्रतिरक्षा  
इकाई में पदस्थ है । वे इस इकाई में दिनांक ..... से सेवारत है ।

अथवा

ब- वे थलसेना/वायुसेना/नौसेना में ..... के ओहदे पर  
सर्विस क्रमांक.....के अधीन कार्यरत प्रतिरक्षा कर्मचारी है और वे मध्यप्रदेश राज्य के बाहर  
स्थित प्रतिरक्षा इकाई में पदस्थ है ।

स्थान.....

हस्ताक्षर : ऑफिसर कमांडिंग.....

दिनांक.....

(कार्यालय सील)

**प्रारूप-2 भाग(स)**

**भूतपूर्व सैनिक द्वारा स्थायी रूप से मध्यप्रदेश में व्यवस्थापित होने संबंधी  
प्रमाण-पत्र**

संदर्भ क्रमांक.....

दिनांक.....

मेरे समक्ष प्रस्तुत किये गये प्रमाण पत्र के आधार पर प्रमाणित किया जाता है कि  
श्री/श्रीमती/कुमारी (उम्मीदवार का नाम).....जो म.प्र. प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग  
(बी.एन.वाय.एस.) प्रवेश नियम एम.पी. ऑनलाईन द्वारा संचालित प्रवेश प्रक्रिया).....  
वर्ष..... के आधार पर ( बी.एन.वाय.एस.) .....  
पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये उम्मीदवार हैं, वे ..... (स्थान) तहसील.....  
जिला.....में व्यवस्थापित हो गये हैं ।

स्थान.....

जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के हस्ताक्षर

दिनांक.....

(कार्यालय सील)

## प्रारूप-3

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संवर्ग हेतु प्रमाण पत्र

संदर्भ क्रमांक.....

दिनांक.....

- 1- यह प्रमाणित किया जाता है कि उम्मीदवार.....  
 श्री (पिता)..... एवं श्रीमती (माता) .....  
 के पुत्र/पुत्री है। श्री/श्रीमती..... स्वतंत्रता  
 संग्राम सेनानी श्री.....के/की वैध (Legitimate) पुत्र/पुत्री है।
- 2- श्री/श्रीमती.....(स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का नाम) का नाम  
 मध्यप्रदेश के जिला..... (जिला का नाम) में संधारित (Maintained) स्वतंत्रता संग्राम  
 सेनानी की पंजी (Register) में क्रमांक ..... पर पंजीकृत है।

स्थान : .....

दिनांक.....

हस्ताक्षर : कलेक्टर

(कार्यालय की स्पष्ट मोहर)

**प्रारूप-4 भाग (अ)****नियम-5.5****स्थायी अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र****कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण)**

अनुभाग..... जिला ..... मध्यप्रदेश पुस्तक  
क्रमांक..... प्रमाण पत्र क्रमांक..... प्रकरण क्रमांक.....

**स्थाई जाति प्रमाण - पत्र**

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....  
पिता/पति का नाम..... निवासी ग्राम..... नगर.....  
..... वि.ख..... तहसील..... जिला..... संभाग.....  
..... अनुसूचित जनजाति/जाति का/की सदस्य हैं और इस अनुसूचित  
जनजाति/जाति को संविधान के अनुच्छेद 341/342 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित  
जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है और यह .....  
जाति/जनजाति अनुसूचित जाति एवं जनजाति (संशोधन) अधिनियम 1976 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश की  
सूची में अनुक्रमांक..... पर अंकित है। अतः श्री/श्रीमती/कुमारी.....  
पिता/पति का नाम..... अनुसूचित जनजाति/जाति का/की है।

2- प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री/श्रीमती/कुमारी.....के  
परिवार की कुल वार्षिक आय रूपये..... है।

दिनांक.....

हस्ताक्षर

प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम

पदनाम/सील

**टिप्पणी** (1) अनुसूचित जाति का अर्थ है संविधान के अनुच्छेद 341 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट मध्यप्रदेश राज्य से संबंधित अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति का अर्थ है संविधान के अनुच्छेद 342 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट मध्यप्रदेश राज्य से संबंधित जनजाति ।

(2) केवल निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा जारी किये गये प्रमाण-पत्र मान्य होंगे:-

(अ) कलेक्टर/अतिरिक्त कलेक्टर/डिप्टी कलेक्टर/एस.डी.ओ.(अनुविभागीय अधिकारी)  
उप-संभागीय मजिस्ट्रेट/सिटी मजिस्ट्रेट (ब) तहसीलदार (स) नायब तहसीलदार (द) परियोजना  
प्रशासक/अधिकारी, वृहद/मध्यम/एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना/उपखंड अधिकारी ।

**नोट:-** यह प्रमाण पत्र उपरोक्त में से किसी भी एक अधिकारी द्वारा नियत जाँच एवं आत्म संतुष्टि के पश्चात् ही जारी किया जावे, न कि उम्मीदवार के अभिभावक द्वारा दिये गये शपथ पत्र के आधार पर और न ही स्थानीय निकायों के सदस्यों द्वारा जारी किये गए प्रमाण पत्र के आधार पर ।

**प्रारूप-4 भाग(ब)**

म.प्र. की अन्य पिछड़े वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) श्रेणी के आरक्षित स्थानों पर प्रवेश के लिए प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रारूप ।

**स्थायी प्रमाण पत्र**

**कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण)**

संदर्भ क्रमांक.....

दिनांक.....

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/कु. (परीक्षार्थी का नाम) .....  
आत्मज श्री.....निवासी/ग्राम.....जिला/संभाग..... मध्यप्रदेश के निवासी हैं  
जो.....जाति के हैं, जिसे पिछड़ा वर्ग के रूप में मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति, अनुसूचित जाति  
एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-8-5/पच्चीस/4/84, दिनांक 26 दिसम्बर,  
1984 द्वारा अधिमान्य किया गया है।

श्री..... (पिता का नाम) क्रीमीलेयर (संपन्न  
वर्ग) व्यक्तियों/वर्गों की श्रेणी में नहीं आते हैं, इसका उल्लेख भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण  
विभाग के परिपत्र क्रमांक 360/2/22/93 स्था. (एस.सी.टी.) दिनांक 8.9.93 द्वारा जारी सूची के  
कॉलम-3 में तथा मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक  
एफ-7-16/2000/1/आप्र दिनांक 6 जुलाई, 2003 की अनुसूची अनुक्रमांक-6 आय/सम्पति  
आंकलन भाग (क) संशोधित कॉलम (3) में किया गया है।

दिनांक.....

प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम

पदनाम (सील)

**प्रारूप-5-अ****कार्यालय तहसीलदार/ नायब तहसीलदार**

टप्पा/तहसील.....

जिला.....

प्र.क्र. /बी-121/वर्ष.....

दिनांक.....

**आय प्रमाण-पत्र**

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री/श्रीमती/कु०.....

पिता/पति.....निवासी..... तहसील.....

जिला.....मध्यप्रदेश, की/के परिवार की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय रुपये.....

. (शब्दों में.....) है।

(आवेदक द्वारा प्रस्तुत शपथ-पत्र के आधार पर जारी)

तहसीलदार/नायब तहसीलदार

तहसील.....जिला..... सील

**प्रारूप 5-ब****आय बावत स्व प्रमाणित घोषणा-पत्र (सादे कागज पर)**

मैं..... आत्मज श्री.....

आयु..... वर्ष शपथपूर्वक कथन करता/करती हूँ कि:-

1. मैं वर्तमान में ..... में निवासरत हूँ।
2. मेरे नाम ग्राम ..... में हेक्टेयर/एकड़ कृषि भूमि है, जिससे मुझे रुपये ..... शब्दों में ..... की वार्षिक आय होती है।
3. मेरा व्यवसाय ..... है, इससे मुझे वार्षिक आय रुपये ..... शब्दों में ..... है।
4. गृह सम्पत्ति से मेरी वार्षिक आय रुपये ..... शब्दों में ..... है।
5. मेरे परिवार में निम्नानुसार सदस्य है:-

1..... 2..... 3.....

4..... 5.....

(परिवार से आशय पति/पत्नी/अवयस्क पुत्र/पुत्री/आश्रित माता या पिता से है)

6. मेरे परिवार के उक्त समस्त सदस्यों की कुल वार्षिक आय रुपये ..... शब्दों में ..... है।

7. मैंने इस शपथ-पत्र के पूर्व कोई आय प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं किया है/शपथ-पत्र प्रस्तुत नहीं किया है।

अथवा

8. मैंने इस शपथ-पत्र के पूर्व लगभग ..... समय पूर्व एक आय प्रमाण-पत्र/शपथ-पत्र राशि ..... रुपये वार्षिक का प्राप्त किया/दिया था। मेरी आय अब परिवर्तित हो गई है। अतः परिवर्तित आय राशि ..... वार्षिक का आय शपथ-पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।

(बिन्दु क्रमांक 7 एवं 8 में जो लागू न हो उसे काट दें)

हस्ताक्षर

**सत्यापन**

मैं..... आत्मज/पति श्री..... आयु.....

..... वर्ष, निवासी ..... सत्यापन करता/करती हूँ कि शपथ-पत्र की कण्डिका 1 से 8 तक में उल्लेखित जानकारी मेरे निजी ज्ञान एवं विश्वास के आधार पर सत्य है। इसमें न कोई तथ्य छुपाया गया है और न ही असत्य तथ्य अंकित किया गया है। मुझे यह ज्ञान है कि मेरे द्वारा असत्य या भ्रामक जानकारी देने पर मेरे विरुद्ध आपराधिक/दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकेगी। साथ ही मुझे प्राप्त समस्त लाभ भी वापस लिये जायेंगे।

सत्यापन आज दिनांक ..... वर्ष..... को स्थान ..... में किया गया।

हस्ताक्षर

**प्रारूप 6**

स्थानीय निवासी हेतु स्व प्रमाणित घोषणा-पत्र (अस्ताम्पित कागज पर)

फोटो  
स्वप्रमाणित

मैं ..... आत्मज/पति श्री .....  
लगभग ..... वर्ष शपथपूर्वक कथन करता/करती हूँ कि:-

1. मैं वर्तमान में ..... में निवासरत हूँ।

2. मेरी पत्नी का नाम श्रीमती ..... एवं आयु (लगभग) ..... वर्ष है।

3. मेरे अवयस्क पुत्र/पुत्री -

1- श्री/कु ..... आयु (लगभग) ..... वर्ष है।

2- श्री/कु ..... आयु (लगभग) ..... वर्ष है।

4. (यहाँ मध्यप्रदेश शासन के ज्ञापन क्रमांक सी-3-7-2013-3-एक, दिनांक 25 सितम्बर 2014 में वर्णित निर्देश के अंतर्गत

आवेदक पात्रता की निम्न में से जिन-जिन श्रेणियों में आता है उनका विवरण अंकित करें)

1- मैं, मध्यप्रदेश के मकान नंबर ..... मोहल्ला ..... ग्राम .....  
तहसील ..... जिला ..... में वर्ष ..... में पैदा हुआ/हुई हूँ।

2- मैं, मध्यप्रदेश में ग्राम/मोहल्ला ..... शहर ..... तहसील ..... जिला .....  
में विगत 10 वर्ष से निरंतर निवासरत हो। यदि 10 वर्ष की अवधि में एक से अधिक स्थानों पर  
निवासरत रहे तो कब से कब तक कहाँ-कहाँ निवासरत रहे इसका पूर्ण विवरण अंकित किया जाये।)

3- मैं, राज्य शासन की सेवा में वर्तमान में पद का नाम ..... कार्यालय का नाम .....

विभाग का नाम ..... के पद पर पदस्थ हूँ/से सेवानिवृत्त हुआ हूँ।  
4. मैं, मध्यप्रदेश शासन के अंतर्गत स्थापित ..... नामक संस्था/निगम/मण्डल/आयोग में .....  
पद पर ..... कार्यालय में सेवारत/सेवानिवृत्त कर्मचारी हूँ।

(कार्यरत/सेवानिवृत्त पद के नाम के साथ कार्यरत कार्यालय/जिस कार्यालय से सेवानिवृत्त हुए उसका पूर्ण विवरण दें।)

5- मैं, केन्द्र शासन के ..... विभाग में ..... के पद पर .....  
कार्यालय ..... तहसील ..... जिला ..... के पद

पर 10 वर्ष से पदस्थ होकर कार्यरत हूँ।

6- मैं, अखिल भारतीय सेवाओं के मध्यप्रदेश राज्य को आवंटित (आवंटन वर्ष ..... बैच) अधिकारी हूँ। .....  
पद पर ..... कार्यालय/मंत्रालय ..... में

पदस्थ हूँ/से सेवानिवृत्त हुआ हूँ। (कार्यरत/सेवानिवृत्त कार्यालय का पूर्ण विवरण कार्यरत पद का नाम)

7- मैं, मध्यप्रदेश में संवैधानिक/विधिक ..... पद पर महामहिम राष्ट्रपति/महामहिम ..... राज्यपाल द्वारा  
नियुक्त हूँ। (पद, कार्यालय का पूर्ण विवरण दिया जाये)

8- मैं, भूतपूर्व सैनिक हूँ तथा मैंने मध्यप्रदेश में 05 वर्षों तक (अवधि ..... ) निवास किया है/अथवा मेरे परिजन  
मध्यप्रदेश में पहले से ही निवासरत है। (इसकी पुष्टि हेतु सैनिक कल्याण, संचालनालय का प्रमाण-पत्र संलग्न करें।)

हस्ताक्षर

**सत्यापन**

मैं ..... आत्मज/पति श्री ..... आयु ..... वर्ष, निवासी .....  
..... सत्यापन करता/करती हूँ कि घोषणा-पत्र की कण्डिका 1/2/3/4/5/6/7/8 में उल्लेखित  
जानकारी मेरे निजी ज्ञान एवं विश्वास के आधार पर सत्य है। इसमें न कोई तथ्य छुपाया गया है और न ही असत्य तथ्य अंकित  
किया गया है। मुझे यह ज्ञान है कि मेरे द्वारा असत्य या भ्रामक जानकारी देने पर मेरे विरुद्ध आपराधिक/दण्डात्मक कार्यवाही की  
जा सकेगी। साथ ही मुझे प्राप्त समस्त लाभ भी वापस लिये जायेंगे।

सत्यापन आज दिनांक ..... वर्ष ..... को स्थान ..... में किया गया।

हस्ताक्षर

(जो लागू हो केवल उसी उल्लेख घोषणा-पत्र में किया जावे)

## प्रारूप-7

## कार्यालय नायब तहसीलदार/तहसीलदार

टप्पा/तहसील .....

जिला .....

प्र.क्र. ....

वर्ष .....

दिनांक .....

## स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र

यहाँ आवेदक का पासपोर्ट साईज का फोटो लगाया जाए जो प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाए।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु. ....  
 ..... पिता/पति ..... निवासी ..... तहसील .....  
 ..... जिला ..... (मध्यप्रदेश), राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र जारी किये जाने के लिए प्रभावशील ज्ञाप दिनांक ..... में निर्धारित मापदण्ड की कंडिका क्रमांक ..... की पूर्ति करने के फलस्वरूप मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी है।

\* 2. प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक ..... दिनांक ..... के अधीन आवेदक द्वारा दिए विवरण अनुसार आवेदक की पत्नी/अवयस्क बच्चे

जिनका विवरण नीचे वर्णित है, मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी है -

- (1) आवेदक की पत्नी का नाम.....आयु.....वर्ष है।  
 (2) आवेदक के अवयस्क पुत्र/पुत्री (1).....आयु..... वर्ष  
 (2)..... आयु..... वर्ष  
 (3)..... आयु..... वर्ष  
 (4)..... आयु..... वर्ष

टीप:- यह प्रमाण-पत्र जाति निर्धारण के लिये जारी किये जाने वाले जाति प्रमाण-पत्र की जांच में साक्ष्य हेतु

विचारार्थ ग्राह्य नहीं होगा।

(आवेदक द्वारा प्रस्तुत शपथ-पत्र के आधार पर जारी)

ह0 तहसीलदार/नायब  
तहसीलदार

तहसील.....

जिला.....

\* जो लागू हो काट दें।

**प्रारूप-8**

**महाविद्यालय पुनराबंटन हेतु**

**अनापत्ति प्रमाण पत्र**

प्रधानाचार्य,

.....

(सम्बन्धित महाविद्यालय का नाम)

विषय :- पाठ्यक्रम में पुनराबंटन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र बावत्।

मेरे द्वारा म.प्र. प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग (बी.एन.वाय.एस.) प्रवेश नियम के तहत एम.पी. ऑन लाईन में पंजीयित होकर प्रवर्ग..... संवर्ग..... मेरिट क्र० ..... के आधार पर शासकीय काउन्सिलिंग में सीट आवंटित करवाकर आपके महाविद्यालय में अध्ययनरत हूँ।

म.प्र. प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग (बी.एन.वाय.एस.) प्रवेश नियम के तहत एम.पी. ऑन लाईन नियमानुसार मैं आगामी काउन्सिलिंग में ..... महाविद्यालय से ..... महाविद्यालय के लिए पुनराबंटन चाहता/चाहती हूँ। अतः अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने का कष्ट करें। मेरे मूल दस्तावेज आपके महाविद्यालय में जमा है। इस बावत भी पुष्टि करने का कष्ट करें।

हस्ताक्षर .....

नाम प्रार्थी .....

पिता/अभिभावक का नाम .....

(बी.एन.वाय.एस.) प्रवेश नियम के तहत एम.पी. ऑन लाईन पंजीयन नं०.....

**कार्यालय प्राचार्य**

आयुक्त आयुष,

मध्यप्रदेश भोपाल।

दिनांक.....

श्री/कु ..... आत्मज/आत्मजा श्री ..... इस महाविद्यालय में म.प्र. प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग (बी.एन.वाय.एस.) प्रवेश नियम के तहत एम.पी. ऑन लाईन की काउन्सिलिंग के आधार पर प्राकृतिक चिकित्सा महाविद्यालय ..... में अध्ययनरत है। छात्र/छात्रा के मूल दस्तावेज इस महाविद्यालय में जमा हैं जो निम्नानुसार है:-

..... महाविद्यालय से ..... महाविद्यालय में पुनराबंटन किये जाने पर इस महाविद्यालय को कोई आपत्ति नहीं है।

महाविद्यालय की सील  
प्रधानाचार्य/प्राधिकृत अधिकारी  
महाविद्यालय,